# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 38/2018, जिला दौसा

1. प्रभाती पुत्र रमसी पत्नि मांगीलाल, जाति मीना निवासी ग्राम ठीकरिया हाल निवासी कानपुरा तह0 दौसा जिला दौसा राज0

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. कजोड पुत्र श्रीया
2. रामकरण पुत्र श्रीया
3. कमलेश पुत्र मूल्या
4. बबलू पुत्र मूल्या
5. जगदीश पुत्र मनफूल
6. फैलीराम पुत्र मनफूल
7. रामखिलाडी पुत्र मनफूल
8. ग्यारसीलाल पुत्र मनफूल
9. रामकेलाश पुत्र मनफूल
10. श्रवण पुत्र मनफूल
11. सोमोतीदेवी बेवा मनफूल
    समस्त जाति मीना निवासी ग्राम ठीकरिया, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
13. ग्राम पंचायत बडागांव जरिए सरपंच

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.05.2018 न्यायालय उप जिला कलेक्टर दौसा जो कि अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 11.08.69 ग्राम पंचायत बडागांव के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी पर पारित किया गया है।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 श्री विनोद कुमार विजय
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 12 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

## निर्णय

दिनांक —31.5.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 1.5.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

यह कि ग्रम देहलाडी, तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 21/1 लगायत 21/53 रकबा 110 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 5/1 लगायत 5/12 रकबा 20 बीघा 9 बिस्वा , कुल रकबा 130 बीघा 14 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का खातेदार घासी पुत्र बक्सा मीणा था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 18 सरपंच, ग्राम पंचायत बडागांव द्वारा दिनांक 11.08.1969 को श्रीया व मनफूल पि. घासी के नाम तस्दीक किया गया। उक्त नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 11.08.1969 के खिलाफ मृतक खातेदार घासी के पुत्र रमसी की पुत्री प्रभाती अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष दिनांक 21.4.2011 को मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की थी, जो

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर



Scanned by CamScanner

अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 द्वारा खारिज किये जाने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान, जिला दौसा द्वारा दिनांक 01.05.2018 एवं नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 11.08.1969 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । बहस के दौरा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 11 व 13 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार घासी था जिसके तीन पुत्र श्रीया, मनफूल व रमसी थे। रमसी की मृत्यु घासी की मृत्यु से पूर्व ही हो गई थी । रमसी के उत्तराधिकारी उसकी पुत्री प्रभाती व पत्नि धापा थी लेकिन घासी की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण में अपीलान्ट प्रभाती पुत्री रमसी व धापा पत्नि रमसी पुत्र घासी को छोड कर केवल घासी के दो पुत्र श्रीया व मनफूल के नाम नामांतरकरण तस्दीक कर दिया, जो विधि विरूद्ध व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। दिनांक 1.5.18 को अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत बडागांव कैम्प कोर्ट में रखकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रार्थी अपीलांट को जबरन रमसी की पुत्री नहीं मानकर मनफूल की पुत्री बताकर गुणावगुण पर प्रकरण निस्तारण करने के बजाय फौरी तौर पर अपील अपीलांट खारिज फरमा दी गई। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 11 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका पारिवारिक शजरा भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया जिसके अनुसार अपीलांट घासी के तीसरे पुत्र रमसी की पुत्री होना स्पष्टतया जाहिर किया गया किन्तु इसके उपरान्त भी घासी के वारिसानों की जांच न कर व ग्रामवासियों से कोई पूछताछ न कर नामान्तरकरण तस्दीक फरमाया जो सरासर विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय था किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी कर अपील अपीलांट खारिज करने में कानूनी भूल की है। उनका कहना था कि अपीलान्ट को प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी सर्वप्रथम 17.4.2011 को हुई थी और अपील दिनांक 21.4.2011 को जानकारी से अन्दर मियाद मय प्रा.पत्र 96 सी.पी.सी. के प्रस्तुत कर दी थी। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 1.5.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा को निरस्त करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 11.08.1969 ग्राम पंचायत बडागांव तहसील नांगलराजावतान को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेन्ट ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 18 निर्णय 11.08.1969 वाके ग्राम पंचायत बडागांव के विरूद्ध देहलाडी स्थित खसरा नम्बरान की की गई है, जबकि ग्राम देहलाडी उक्त खसरा नम्बरान में घासी को कोई हिस्सा नहीं है। अपील गलत खसरा नम्बरान की की गई है। अपीलान्ट ने उक्त अपील घासी के पुत्र रमसी की वारिस होने की बताकर की गई, रमसी की मृत्यु राज0 टिनेन्सी एक्ट लागू(प्रभाव में आने से पहले) ही हो चुकी थी। अपीलान्ट मीना जाति से है और मीना जाति में पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं है। और अपीलान्ट मृतक रमसी की पुत्री भी नहीं है। यदि अपीलान्ट को कोई हक अधिकार सिद्ध करती है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके अपने हक हकूक निर्धारित करवाने चाहिए। प्रभाती रमसी की पुत्री नहीं है, मनफूल की पुत्री है। नामान्तरकरण की अपील में पूर्व में निर्णय हो चुके है। श्रीमान अति. संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील संख्या 60/2012 जिला दौसा उनवानी प्रभाती बनाम कजोड में भी निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा भी प्रभाती की अपील खारिज की गयी है। प्रभाती द्वारा एक दावा न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नांगल राजावतान जिला दौसा में मुकदमा संख्या 141/2015 उनवानी प्रभाती बनाम कजोड पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 28.05.2018 को हो चुका है। जिसमें यह माना है कि प्रभाती मनफूल की पुत्री है, रमसी की पुत्री नहीं है। प्रभाती ने अपने आपको गलत तरीके से रमसी की पुत्री बताकर यह प्रकरण पेश किया इससे पहले रमसी के वारिस धापा, ग्यारसीलाल, रामकैलाश,

विरिष्ठ संभागीय आयुक्त
जयपुर



Scanned by CamScanner

श्रवण ने प्रकरण पेश किया था, जो खारिज हो चुका है, प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल 11 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है। इसके बावजूद भी उन्होनें कोई कार्यवाही नहीं की और अब प्रभाती ने मनफूल की पुत्री होने के बावजूद भी रमसी की पुत्री बनकर यह केस पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है, खारिज किया गया है। अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज की गई है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्य विवाद प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार घासी की विरासत का है । जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 18 सरपंच, ग्राम पंचायत बडागांव द्वारा दिनांक 11.08.1969 को श्रीया व मनफूल पि. घासी के नाम तस्दीक किया गया । अपीलान्ट घासी के तीसरे पुत्र रमसी की पुत्री होने के आधार पर घासी की भूमि में अधिकार चाहती है । विवादित भूमि के खातेदार मृतक घासी की विरासत का नामांतरकरण संख्या 18 सरपंच, ग्राम पंचायत बडागांव द्वारा दिनांक 11.08.1969 को श्रीया व मनफूल पि. घासी के नाम तस्दीक किया गया जिसके खिलाफ अपीलार्थी द्वारा अपील उपखण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष दिनांक 21.4.2011 को प्रस्तुत की थी। अपीलाधीन आदेश में भी यह माना है कि प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित वाद न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अधिकार हुकूक के सम्बन्ध में निर्णय होना है। अधिकार तय होने के उपरान्त ही वाद के निर्णय अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना उचित है। अपील औचित्यहीन है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की गई है। अपीलार्थी घासी के पुत्र रमसी की पुत्री कहकर अपील में आई है जबकि इसका कोई प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया। रमसी की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध अपील व नामांतरकरण से इस कथन की सत्यता प्रकट होती है। अपीलान्ट जाति से मीणा है तथा मीणा जाति में रीति रिवाज के नियमानुसार लडकी को अधिकार नहीं मिलते। प्रभाती द्वारा एक दावा न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नांगल राजावतान जिला दौसा में मुकदमा संख्या 141/2015 उनवानी प्रभाती बनाम कजोड पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 28.05.2018 को हो चुका है। जिसमें यह माना है कि प्रभाती मनफूल की पुत्री है, रमसी की पुत्री नहीं है। प्रभाती ने अपने आपको गलत तरीके से रमसी की पुत्री बताकर यह प्रकरण पेश किया इससे पहले रमसी के वारिस धापा, ग्यारसीलाल, रामकैलाश, श्रवण ने प्रकरण पेश किया था, जो खारिज हो चुका है। इसके बावजूद भी उन्होनें कोई कार्यवाही नहीं की और अब प्रभाती ने मनफूल की पुत्री होने के बावजूद भी रमसी की पुत्री बनकर यह केस पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है, जो खारिज किया गया है। नामांतरकरण की कार्यवाही वैसे भी भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। अपीलान्ट के यदि विवादित भूमि में कोई हक हकूक बनते हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके अपने हक हकूक निर्धारित करवाने चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2018 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 01.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पारीक)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner